

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-ओए/डीपीसी/चयन आदेश/2016-17 दिनांक-17.09.20 के द्वारा संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) शिक्षा विभाग, जोधपुर के आदेश क्रमांक ईडीडी/माध्य/जोध/वि.जांच/19/1780-1785 दिनांक 02.07.2019 के द्वारा निम्नांकित के विरुद्ध विचाराधीन राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण एवं अपील) नियम-16 की कार्यवाही समाप्त(drop) किये जाने के फलस्वरूप एवं राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निम्नांकित कार्मिक को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) इतिहास (शिड्यूल 1) की वर्ष 2016-17 की रिक्ति के प्रति चयन किए जाने के फलस्वरूप इन्हें प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) इतिहास (शिड्यूल 1) के पद पर राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2016 के लेवल नम्बर-12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा, अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल dir.dse@rajasthan.gov.in एवं commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक-05.11.2020 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक: 05.11.2020 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में भी) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगा। जो अभ्यर्थी पूर्व में चयन वर्ष 2016-17 हेतु निर्मित पुनर्वालाकन/पुनरीक्षण सूचि के संदर्भ में रिज्यू एवं रिविजन के आधार पर प्रदत्त पदोन्नति के फलस्वरूप पूर्व से प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, इतिहास के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें इस आदेश की पालना में पदोन्नति पर पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा एवं ऐसी स्थिति से तत्काल इस कार्यालय को सूचित करेंगे। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 06.11.2020 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	नाम कार्मिक	जन्मतिथि	पद, पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	1739/96-97	धरमा राम	05.11.1981	वरिष्ठ अध्यापक, राउमावि जुनेजो की बस्ती-शिव - बाड़मेर	GOVT. SENIOR SEC SCHOOL MUNGERIYA (213530), SHIV (08170104301) BARMER

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें की जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। यदि अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति आने पर ऐसे कार्मिक को इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

(सौरभ स्वामी)

आई.एस.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक-23/10/2020

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इतिहास/डीपीसी-पदस्थापन/2016-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
5. सम्बन्धित शिक्षा संयुक्त निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक)
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होंगे।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अद्यतन करने हेतु
8. संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान/कार्मिक
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/एबी-बी-III/सी 2 ओएसी अनुभाग को उक्तानुसार रिकार्ड में कार्मिक डाटा अपडेट करने हेतु

कार्यालय का पता- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
PH- 0151-2522238

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

E Mail- so.csection@gmail.com

web site- education.rajasthan.gov.in/secondary